

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल मेरठ।

पत्रांक 1957/ग्रा0अ0वि0/प0सं0-313/ठेके0-पंजी0/2018-19 दिनांक 13-2-2019

: पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सं0 313/2018-19) :

शासनादेश संख्या-3460/23-7-08-41एम0एस0ए0/54 टी0सी0-III दिनांक 28.7.2008 के अनुसार अपेक्षित कागजात/जमानती राशि जमा करने के फलस्वरूप श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छैलराम शर्मा, निवासी-ग्राम-नुसरताबाद, खरखडी लोनी, जनपद-गाजियाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल के अन्तर्गत भवन/मार्ग निर्माण हेतु "सी" श्रेणी में दिनांक 30.6.2021 तक के लिये पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल मेरठ के लिये ही मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक 30.6.2021 तक रहेगी एवं तत्पश्चात स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

उक्त फर्म के चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता क्रमशः दिनांक 24.01.2022 तथा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 12.06.2019 तक है, जिनकी निरन्तरता/वैधता बनाये रखने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा, चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता उक्त निर्धारित समय से पूर्व न बढ़ पाने की स्थिति में पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(अजय सिधल)
अधीक्षण अभियन्ता,
(रवि शर्मा)
आयु लिपिक

पत्रांक एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छैलराम शर्मा, निवासी-ग्राम-नुसरताबाद, खरखडी लोनी, जनपद-गाजियाबाद।
- 2- समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल, मेरठ।
- 3- लेखालिपिक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कार्यालय मेरठ को जमानत राशि अंकन रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 सहित इस निर्देश के साथ कि जमानती राशि को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।



युगेश

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
मेरठ, परिमण्डल मेरठ।
(रवि शर्मा)
आयु लिपिक